तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.02.2019	वादी पदमसिंह पुत्र जसवंतसिंह, आयु–60साल, जाति–राजपूत, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण रेलवे विभाग जरिये डी.आर.एम. जोधपुर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी के खातेदारी सुदा खेत खसरा संख्या 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा में बअनुवान पदमसिंह बनाम रेलवे प्रकरण संख्या 180/2018 न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.12.2018 की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व उनके ऐजेन्ट/कर्मचारी व्यवधान रोकटोक उत्पन्न कर रहे है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। राजस्व वाद पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, विवादित आराजियात् वाकै सरहद मौजा बालिया के खसरा नम्बर 425 वादी की खातेदारी भूमि में बिना विधिक प्राधिकार के प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी नहीं करे। तहसीलदार डीडवाना विवादित आराजियात् की सीमांकन पत्थरगढी कार्यवाही कर उभयपक्षकारान् को अवगत करावें। मिसल फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner